छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

कार्यवृत्त–2024–03

दिनांक 18 जून, 2024, की पूर्वाह्न 11:00 बजे, विश्वविद्यालय परिसर स्थित सेण्टर फॉर एकेडमिक्स भवन में ऑफलाइन/ऑनलाइन सम्पन्न हुई कार्य परिषद की आपात बैठक की कार्यवाही :–

बैठक में निम्नांकित सदस्यगण उपस्थित हुये :–

1.	**प्रो० विनय कुमार पाठक,** कुलपति, सी०एस०जे०एम० विश्वविद्यालय कानपुर।	अध्यक्ष
2.	**प्रो० सुधीर कुमार अवस्थी,** प्रति–कुलपति, डीन, लाइफ सांइस, सी०एस०जे०एम० विश्वविद्यालय कानपुर।	सदस्य
3.	**मा0 न्यायमूर्ति श्रीकांत त्रिपाठी, (से0नि0)** सदस्य (न्यायिक) इलाहाबाद हाईकोर्ट निवास–2/146–डी0 विशेष खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।	ऑनलाइन/सदस्य
4.	**प्रो0 शलभ, डीन** डीन एकेडमिक अफेयर्स, इण्डियन इंस्टीटयूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर–208016।	ऑनलाइन/सदस्य
5.	**डॉ0 उमेश पालीवाल,** एम0डी0, पालीवाल डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड, कानपुर, निवास–117/एच0– 1/ 02, पाण्डु नगर, कानपुर– 208005।	सदस्य
6.	**डॉ० श्याम शंकर सिंह,** क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, कानपुर मण्डल, कानपुर।	सदस्य
7.	**प्रो० सुधान्शु पाण्डिया, संकायाध्यक्ष,** एस०बी०एम०,सी०एस०जे०एम० विश्वविद्यालय कानपुर।	सदस्य
8.	**डॉ0 अशोक कुमार पाण्डेय, संकायाध्यक्ष,** कृषि संकाय, जनता कालेज, बकेवर इटावा।	सदस्य
9.	**प्रो0 मुकेश रंगा, आचार्य,** आचार्य, एस०बी०एम०, सी०एस०जे०एम०वि०वि०, कानपुर।	सदस्य
10.	**प्रो0 नीरज कुमार सिंह, आचार्य,** आचार्य, एस०बी०एम०, सी०एस०जे०एम०वि०वि०, कानपुर।	सदस्य
11.	**प्रो0 वर्षा गुप्ता, आचार्या,** जीवन विज्ञान विभाग, सी०एस०जे०एम०वि०वि०, कानपुर।	सदस्या
12.	**डॉ0 मृदुलेश सिहं, सह–आचार्य,** एस०बी०एम०, सी०एस०जे०एम० विश्वविद्यालय कानपुर।	सदस्य
13.	**डॉ0 शिल्पादेश पाण्डे कायस्थ, सह–आचार्य,** बायोटेक्नोलॉजी विभाग, सी०एस०जे०एम० विश्वविद्यालय कानपुर।	सदस्या
14.	**डॉ0 विपिन कौशिक, प्राचार्य,** वी0एस0एस0डी0 कालेज, नवाबगंज, कानपुर।	सदस्य
15.	**डॉ0 प्रमोद कुमार यादव, सह–आचार्य,** जीवन विज्ञान विभाग, सी०एस०जे०एम०वि०वि०, कानपुर।	सदस्य

16.	**डॉ0 तनुजा भट्ट, सहायक आचार्य,** जीवन विज्ञान विभाग, सी॰एस॰जे॰एम॰वि॰वि॰, कानपुर।	सदस्या
17.	**डॉ0 बृजेश कुमार सक्सेना,** डीन एण्ड कन्वीनर, (रसायन विज्ञान) डी०ए०वी० कालेज, कानपुर।	सदस्य
18.	**डॉ0 आरती सक्सेना,** विभागाध्यक्ष, (रसायन विज्ञान), ए०एन०डी०एन०एन०एम० कालेज, कानपुर।	सदस्या
19.	**श्री अशोक कुमार त्रिपाठी,** वित्त अधिकारी, सी॰एस॰जे॰एम॰वि॰वि॰, कानपुर।	विशेष आमंत्रित सदस्य
20.	**श्री राकेश कुमार,** परीक्षा नियत्रंक, सी॰एस॰जे॰एम॰वि॰वि॰, कानपुर।	विशेष आमंत्रित सदस्य
21.	**डॉ० अनिल कुमार यादव,** कुलसचिव, सी॰एस॰जे॰एम॰वि॰वि॰, कानपुर।	सचिव

सर्वप्रथम कुलसचिव ने मा0 कार्य परिषद में नवनियुक्त सदस्यों डॉ० विपिन कौशिक एवं उपस्थित माननीय सदस्यों का स्वागत किया तथा मा० अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की:–

मद सख्या	विषय
2024–3.1– A	**डॉ0 बृष्टि मित्रा एवं 14 अन्य द्वारा माननीय कुलाधिपति को धारा 68 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रत्यावेदन पर माननीय कुलाधिपति द्वारा पारित आदेश एवं तत्क्रम में मा0 न्यायमूति श्री श्रीकान्त त्रिपाठी जी से प्राप्त विधिक अभिमत के आलोक में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत (SFS) कार्यरत शिक्षकों को कैरियर एडवांसमेंट स्कीम (CAS) के अन्तर्गत प्रोन्नत किये जाने के प्रस्ताव पर विचार।**
	कुलसचिव द्वारा डॉ0 बृष्टि मित्रा एवं 15 अन्य द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या–18211/2023 में पारित आदेश दिनांक–24.11.2023 के क्रम में माननीय कुलाधिपति को धारा 68 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रत्यावेदन पर माननीय कुलाधिपति द्वारा पारित आदेश संख्या–ई/3201/जी0एस0 दिनांक–03.05.2024 एवं तत्क्रम में प्रकरण पर मा0 न्यायमूति श्री श्रीकान्त त्रिपाठी जी से प्राप्त विधिक अभिमत दिनांक–14–06–2024 से माननीय कार्यपरिषद को अवगत कराया है। धारा 68 के अन्तर्गत माननीय कुलाधिपति महोदया द्वारा पारित आदेश के प्रभावी अंश निम्नवत है– *"12 (क) अतएव प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, उपर्युक्त विवेचन एवं उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 7 (9) एवं धारा 21(1)(vii) के प्रावधानों के आलोक में, नियुक्ति प्राधिकारी, विश्वविद्यालय कार्य परिषद को, डॉ0 वृष्टि मिश्रा व 14 अन्य प्रत्यावेदकगण द्वारा इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किये गये प्रत्यावेदन को समुचित निस्तारण हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 विश्वविद्यालय प्रथम परिनियमावली/अध्यादेश, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/सम्बन्धित नियामक संस्था व शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत सुसंगत विधियों/मानकों अथवा प्रक्रियाओं का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए, परीक्षणोपरान्त अविलम्ब विधिसम्मत कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया जाता है।"* *प्रकरण में, मा० इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा रिट–ए–संख्या–18211/2023 में पारित आदेश दिनांक–24.11.2023 के प्रभावी अंश निम्नवत् हैं:–* *"The case of the writ petitioners is that pursuant to a Government order dated 12.12.1997 certain modalities, had been fixed with respect to the selection and the appointment of the teachers in the engineering stream of the Universities under self-*

financing scheme. Learned counsel for the writ petitioners while driving force from the Government order dated 12.02.1997 seeks to argue that in pursuance of the said Government order, certain benefits are available to the engagees. Pleadings reveals that the writ petitioners claim to have been appointed as lecturer on various dates as mentioned in paragraph Nos. 7 to 22 of the writ petition. According to the writ petitioners, the selections were made pursuant to the advertisement published by the respondent itself.

Prayer in the present petition is for treating the services of the writ petitioners as regular teaching faculty, substantively appointed ogainst the post created by the State Government pursuant to the Government order dated 12.02.1997 including extension of personal promotion/career advancement scheme and other monetary benefits.

Learned Standing Counsel as well as Shri Rohit Pandey who appears for the respondent University submits that the issues with the writ petitioners seeks to raise relying upon the decision of the Vice Chancellor needs. determination by the fourth respondent, he submits that the writ petitioners may approach the Chancellor in view of the provisions contained under

Section 68 of U.P. State Universities Act, 1973 by way of a reference.

Considering the submissions of the rival parties as well as stand taken by them, the writ petition is being disposed off without seeking any response from the respondents granting liberty to the writ petitioners to approach the Chancellor, Chatrapati Shahu Ji Maharaj University, Konpur (U.P.) who shall take an appropriate decision with most expeditions on top priority within the reasonable period.

With the aforesaid observations, the writ petition is disposed off."

प्रकरण के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा माननीय न्यायामूर्ति श्री श्रीकान्त त्रिपाठी, न्यायिक सदस्य, कार्य परिषद से प्राप्त विधिक अभिमत के प्रभारी अंश निम्नवत् है–

" In my view, the matter of grant of benefits of the CAS to the teachers appointed under the self-financed scheme at per with the regular teachers is the core question required to be addressed by the University. It is also to be kept in mind that the additional financial burdun on account of grant of the said benefits must be borne out of the funds collected as fees under self-financed scheme without any finanical assistance either of the Government or any

	other financial resources of the University. The fund collected under the self-financed scheme should be utilized as per the conditions and limitations fixed by the Government Orders issued from time to time. The posts of teachers (Assistant Professors) under the self-finance scheme in the University are long lived posts continuing since the date of creation without any break. Even the teachers appointed on such posts are alleged to be countinuing regularly without any break since the dates of their appointments. Therefore, in view of the clarification of the UGC as disclosed hereinabove, it is not proper to make a distinction between regular teachers and the teachers appointed under the self-financed scheme only of the ground of nature of funding towords their pay and allowances. The CAS benefit is in the nature of grant of personal benefit of next higher pay scale with next higher designation to a teacher in order to get red of stagnation. so, this personal benefit of next higher pay scale with next higher designation to a teacher under the self-financed scheme, if the fulfils the requisite qualifications, experience and other requirements of the CAS, can be granted by the University within the limits of availability of funds under the self-financed scheme. however, the said personal benefit will cease to have effect on cessation of employment of the teacher due to retirement etc. and in that eventuality the post he holds will revert back to the level of Assistant Professor. The University may also ensure compliance of any other procedural/administrative requirements." *उक्त विधिक अभिमत, मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित निर्णय एवं कुलाधिपति महोदया द्वारा दिये गये आदेशों के परीक्षणोपरान्त परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय को NBA/NIRF/NAAC/QS Ranking हेतु स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत (SFS) वेतनमान में कार्यरत शिक्षकों को कैरियर एडवांसमेंट स्कीम (CAS) का लाभ दिये जाने हेतु सैद्धान्तिक सहमति इस शर्त के साथ बनी कि–* *1. सम्बन्धित शिक्षक UGC/AICTE/PCI व अन्य सम्बन्धित नियामक संस्थाओं की निर्धारित अर्हता रखते हो।* *2. स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत पाठ्यक्रमों में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन एवं सेवा शर्तों के मानक से सम्बन्धित शासनादेश संख्या–2/2020/226/सत्तर–2– 2020–18 (31)/2018 दिनांक 13 मार्च, 2020 में वर्णित मानकों के अनुसार शिक्षको एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को देय वेतन आदि उनके विभाग के पाठ्यक्रम की शिक्षण शुल्क से प्राप्त आय का कम–से कम 75 प्रतिशत वेतन पर व्यय किया जायेगा।* *3. स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों में भविष्य में यदि शिक्षण शुल्क मद में कमी आती है अथवा व्ययभार बढ़ता है तो तदानुसार शासनादेश दिनांक–13 मार्च, 2020 में वर्णित वेतनमान सम्बन्धी मानक के अनुसार स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत*

18.6.24

	संचालित पाठ्यक्रमों में वेतनमान पर कार्यरत शिक्षकों के वेतन में सम्तुल्य अनुपात में कटौती की जायेगी। 4. *उक्त आदेश, स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों में वेतनमान पर कार्यरत शिक्षकों द्वारा कैरियर एडवांसमेंट स्कीम (CAS) पदोन्नति के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित याचिका/याचिकाओं में पारित आदेश के अधीन होगा।* *(अपेक्षित कार्यवाही–प्रशासन विभाग)*
2024–3.1– B	**डॉ0 सुविज्ञा अवस्थी, निलम्बित आचार्य, एस0बी0एम0, सी0एस0जे0एम0 विश्वविद्यालय, कानपुर हेतु विश्वविद्यालय प्रथम नियमावली के अध्याय 16 सपठित अध्याय 8 में दी गयी व्यवस्थानुसार किसी शिक्षक के विरूद्ध प्राप्त शिकायती जांच हेतु माननीय कुलपति जी द्वारा गठित अनुशासनात्मक समिति (Disciplinary Committee) के अनुमोदन एवं अनुशासनात्मक समिति की अनुशंसा तथा तत्क्रम में आरोप पत्र के अनुमोदन पर विचार।**
	परिषद द्वारा डॉ0 सुविज्ञा अवस्थी, निलम्बित आचार्य, एस0बी0एम0, सी0एस0जे0एम0 विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रकरण पर विस्तृत रूप से चर्चा की गयी तथा सर्व सम्मति से विश्वविद्यालय प्रथम नियमावली के अध्याय 16 सपठित अध्याय 8 में दी गयी व्यवस्थानुसार किसी शिक्षक के विरूद्ध प्राप्त शिकायती जांच हेतु माननीय कुलपति जी द्वारा गठित अनुशासनात्मक समिति (Disciplinary Committee) के अनुमोदन एवं अनुशासनात्मक समिति की अनुशंसा तथा तत्क्रम में समिति द्वारा प्रेषित आरोप पत्र के अनुमोदन पर सर्व सम्मति से सहमति प्रदान की गयी। *(अपेक्षित कार्यवाही–प्रशासन विभाग)*
2024–3.1– C	**डॉ0 अभिषेक मिश्रा, सहायक आचार्य, लाइफ लॉग लर्निंग एण्ड एक्सटेंशन विभाग, सी0एस0जे0एम0 विश्वविद्यालय, कानपुर हेतु विश्वविद्यालय प्रथम नियमावली के अध्याय–16 सपठित अध्याय–8 में दी गयी व्यवस्थानुसार किसी शिक्षक के विरूद्ध प्राप्त शिकायती जांच हेतु माननीय कुलपति जी द्वारा गठित अनुशासनात्मक समिति (Disciplinary Committee) क अनुमोदन एवं अनुशासनात्मक समिति की अनुशंसा तथा तत्क्रम में आरोप पत्र के अनुमोदन पर विचार।**
	परिषद द्वारा डॉ0 अभिषेक मिश्रा, सहायक आचार्य, लाइफ लॉग लर्निंग एण्ड एक्सटेंशन विभाग, सी0एस0जे0एम0 विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रकरण पर विस्तृत रूप से चर्चा की गयी तथा सर्व सम्मति से विश्वविद्यालय प्रथम नियमावली के अध्याय 16 सपठित अध्याय 8 में दी गयी व्यवस्थानुसार किसी शिक्षक के विरूद्ध प्राप्त शिकायती जांच हेतु माननीय कुलपति जी द्वारा गठित अनुशासनात्मक समिति (Disciplinary Committee) के अनुमोदन एवं अनुशासनात्मक समिति की अनुशंसा तथा तत्क्रम में समिति द्वारा प्रेषित आरोप पत्र के अनुमोदन पर सर्व सम्मति से सहमति प्रदान की गयी। *(अपेक्षित कार्यवाही–प्रशासन विभाग)*
2024–3.1– D	**समर्थ पोर्टल के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में संसूचनार्थ।**
	परिषद द्वारा राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्रांक–ई–2768/32–जी0एस0/2023–(SAMARTH) दिनांक 19.04.2024 एवं उच्च शिक्षा

18.6.24

	अनुभाग–3 के पत्राक–848/सत्तर–3–2024 दिनांक 22.04.2024 का अवलोकन किया गया जिसके उपरान्त विश्वविद्यालय में समर्थ ईआरपी पोर्टल क्रियान्वित किये जाने के सम्बन्ध में राज्यपाल सचिवालय एवं शासन द्वारा दिये गये निर्देशानुसार विश्वविद्यालय में व्यापक स्तर पर समर्थ ईआरपी पोर्टल को क्रियान्वित करने एवं माननीया कुलाधिपति महोदया की अध्यक्षता में आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला दिनांक 20 व 21 अप्रैल, 2024 से संज्ञानित हुई तथा यह भी निर्णय लिया कि सत्र 2024–25 से प्रवेश समर्थ पोर्टल के माध्यम से ही किए जाय। परिषद द्वारा सम्यक् चर्चा करते हुये विश्वविद्यालय में समर्थ ईआरपी पोर्टल क्रियान्वित किये जाने की सहर्ष सहमति प्रदान की गयी है। (अपेक्षित कार्यवाही–प्रभारी, पीएमयू सेल/प्रभारी, समर्थ पोर्टल)
2024–3.1– E	**विश्वविद्यालय द्वारा कनिष्ठ सहायक 59 रिक्त पदों पर उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन, आयोग, लखनऊ को ई–अधियाचन के माध्यम से भर्ती हेतु प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में संसूचनार्थ।**
	परिषद द्वारा उच्च शिक्षा अनुभाग–3 के पत्रांक– 1393/सत्तर–3–2024 दिनांक 14 जून, 2024 के अवलोकन किया गया। शासन द्वारा दिनांक 10.06.2024 को ऑनलाइन बैठक में दिये निर्देशानुसार विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 11.06.2024 को उ0प्र0 राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ से सम्पर्क एवं आयोग के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय द्वारा 59 पदों के सापेक्ष त्रुटिरहित सम संख्या में 58 पदों पर सामान्य चयन का ई–अधियाचन एवं 01 पद पर विशेष चयन का ई–अधियाचन संगत शासनादेशों एवं निर्देशों के अनुसार तैयार कर दिनांक 15.06.2024 को ऑनलॉइन प्रेषित किये गये ई–अधियाचनों से परिषद संसूचित हुई। साथ ही विश्वविद्यालय में रिक्त आशुलिपिक–17 पद, केयर टेकर –01 पद, स्टोर कीपर –01 पद, कैटलॉगर–01 पद, अवर अभियन्ता (सिविल)–01 पद, इलेक्ट्रीशियन–01 पद के सृजन से सम्बन्धित कोई शासनादेश एवं नियमावली उपलब्ध न होने से अवगत हुई तथा सर्व सम्मति से निर्णय लिया कि उक्त पदों के सृजन से सम्बन्धित शासनादेश/नियमावली आदि के उपलब्ध होने पर नियमानुसार, उ0प्र0 अधीनस्थ चयन सेवा आयोग, लखनऊ को ई–अधियाचन प्रेषित किया जाय तथा विश्वविद्यालय में कई वर्षों से रिक्त पदों की आवश्यकता एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों के जिलों की संख्या के दृष्टिगत समीक्षा हेतु एक समिति का गठन किये जाने का सर्व सम्मति निर्णय लेते हुये अनुमोदन प्रदान किया। (अपेक्षित कार्यवाही–प्रशासन विभाग)
2024–3.1– F	**डॉ0 राजेश कुमार, सह–आचार्य, जीवन विज्ञान विभाग, सी0एस0जे0एम0 विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रकरण पर मा0 कुलाधिपति महोदया के पत्र संख्या–2068/10–जी0एस0(68)/2020–(I) दिनांक 03.06.2024 के सम्बन्ध में विचारार्थ।**
	माननीय कुलाधिपति महोदया के आदेश संख्या–5959/जी0एस0, दिनांक 14.09.2023 के अनुपालन में विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 14.03.2024 के निर्णयानुसार, डॉ0 राजेश कुमार, सह–आचार्य के प्रकरण के सम्बन्ध में मा0 कुलाधिपति महोदया को विश्वविद्यालय द्वारा पत्रांक–सी0एस0जे0एम0/वीसीसी/1514/2024 दिनांक 14.03.2024 भेजा गया था। जिसके क्रम में राज्यपाल सचिवालय का पत्र संख्या–2068/10–जी0एस0(68)/2020–(I) दिनांक 03.06.2024 प्राप्त हुआ। पत्र में निर्देश दिये गये है कि संदर्भित प्रकरण में विश्वविद्यालय अधिनियम एवं परिनियमावली में विहित सुसंगत प्रावधानों के अधीन प्रश्नगत प्रकरण का विधिसम्मत

18.6.24

	निस्तारण किया जाय। परिषद द्वारा राज्यपाल सचिवालय, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या–2068 /10–जी0एस0(68)/2020–(1) दिनांक 03.06.2024 का अवलोकन किया गया तथा संदर्भित प्रकरण में विश्वविद्यालय अधिनियम एवं परिनियमावली में विहित सुसंगत प्रावधानों के अधीन प्रश्नगत प्रकरण का विधिसम्मत निस्तारण किये जाने का निर्णय लिया गया अर्थात यू0जी0सी गाइडलाइन के अनुसार CAS के अन्तर्गत आचार्य पद पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में चयन समिति की संस्तुति के आधार पर पदोन्नति की कार्यवाही की जाय। (अपेक्षित कार्यवाही–प्रशासन विभाग)
	• परिषद द्वारा सर्व सम्मति से विश्वविद्यालय में नियमित शिक्षकों की भर्ती/कैरियर एडवांमेंट स्कीम हेतु पैनल गठित करने के लिये माननीय कुलपति को अधिकृत किये जाने का निर्णय लिया गया। • परिषद द्वारा सर्वसम्मति से उपरोक्त जांच समिति के संयोजक एवं सदस्यों को रूपयें 7,500/– प्रति केश प्रति मीटिंग दिये जाने पर सहमति प्रदान की गयी।

अन्त में कुलसचिव द्वारा सभी उपस्थित सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक समाप्ति की घोषणा की गयी।

18.6.2024

डॉ०(अनिल कुमार यादव)
कुल सचिव/सचिव

प्रो०(विनय कुमार पाठक)
कुलपति/अध्यक्ष

कार्यालय पत्रांकः सी.एस.जे.एम.वि.वि./सा.प्रशा./2153...../2024, दिनांक 18.06.2024

प्रतिलिपिः
1. मा0 सदस्यगण–कार्यपरिषद की सेवा में सादर सूचनार्थ।
2. वैयक्तिक सहायक, कुलसचिव।
3. सम्बन्धित पत्रावली।

18.6.2024

डॉ०(अनिल कुमार यादव)
कुल सचिव/सचिव